

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)
सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर।

लाटरी की सूचना।

लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावों होने के कारण गीडा आवासीय योजना सेक्टर-05 एवं सेक्टर 23 के रिक्त भूखण्डों के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष लाटरी स्थगन की सूचना प्रकाशित करायी गयी थी। अब प्रश्नगत लाटरी गीडा कार्यालय सेक्टर-07, गीडा, गोरखपुर में निम्नानुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पन्न किया जाना प्रस्तावित है।

समस्त आवेदकों से अनुरोध है कि कृपया निम्नानुसार तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर लाटरी में भाग लेना सुनिश्चित करें।

सहजनवाँ आवासीय योजना (गीडा सेक्टर 23)

क्रमांक	श्रेणी	तिथि	समय
1	A	11.06.2019	11:00 बजे
2	B	11.06.2019	11:30 बजे
3	C	11.06.2019	01:00 बजे
4	D	12.06.2019	02:00 बजे
5	E	12.06.2019	03:00 बजे

न्यू गोरखपुर आवासीय योजना (गीडा सेक्टर 07)

क्रमांक	श्रेणी	तिथि	समय
1	C	13.06.2019	11:00 बजे
2	D	13.06.2019	11:30 बजे
3	E	13.06.2019	01:00 बजे

समस्त आवेदकों को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत लाटरी की कार्यवाही वित्तीय वर्ष 2019-2020 में सम्पन्न होगी। अतः लाटरी में सफल आवेदकों के पक्ष में भूखण्डों का आवंटन आलाञ्छित वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित दरों पर किया जायेगा। यदि कोई आवेदक वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुमोदित दर पर भूखण्ड आवंटन हेतु इच्छुक न हो तो लाटरी से पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुमोदित दर किसी भी कार्य दिवस में गीडा कार्यालय में अथवा गीडा की वेबसाइट www.gidagkp.org पर देखा जा सकता है।



(संजीव रंजन)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

सहजनवों आवासीय योजना एवं विस्तार, सेक्टर-23

क्रमांक	श्रेणी	वर्ष 2018-19 हेतु विज्ञापित दर	वर्ष 2019-20 हेतु अनुमोदित दर
1.	ए	14,200.00	16,500.00
2.	बी	14,200.00	16,500.00
3.	सी	14,200.00	16,500.00
4.	डी	12,100.00	14,000.00
5.	ई	12,100.00	14,000.00

नोट :-


- (क) यदि भूखण्ड पार्क के सम्मुख स्थित है तो 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जायेगा।
- (ख) यदि भूखण्ड कार्नर पर स्थित है तो 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जायेगा।
- (ग) यदि भूखण्ड कार्नर एवं पार्क के सम्मुख दोनों पर स्थित है तो 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जायेगा।

न्यू गोरखपुर आवासीय योजना, सेक्टर-05

क्रमांक	श्रेणी	वर्ष 2018-19 हेतु विज्ञापित दर	वर्ष 2019-20 हेतु अनुमोदित दर
1.	सी	13,500.00	15,700.00
2.	डी	10,800.00	12,500.00
3.	ई	10,800.00	12,500.00

नोट :-

- (क) यदि भूखण्ड पार्क के सम्मुख स्थित है तो 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जायेगा।
- (ख) यदि भूखण्ड कार्नर पर स्थित है तो 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जायेगा।
- (ग) यदि भूखण्ड कार्नर एवं पार्क के सम्मुख दोनों पर स्थित है तो 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जायेगा।


 (अनिल कुमार सिंह) 25/03/19
 सहायक महा प्रबन्धक (सम्पत्ति)
 गीडा, गोरखपुर।